राजस्थान सरकार

न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शनसिह तोमर आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 33/019 आर सी एम सए नं0 2019/00214 तारीख रजू 02.09.2019

वेदप्रकाश पूर्विया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर :– आवेदक

बनाम

गिर्राज प्रसाद पुत्र पन्ना लाल अग्रवाल उम्र 55 साल निवासी मण्डावरा फाटक हिण्डौन सिंटी जिला करौली प्रो0 गोरधन रेस्टोरेन्ट स्टेशन रोड़ हिण्डौन सिंटी जिला करौली

– अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस धारा एक्ट 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उपधारा (2)(।।) धारा 51 का उल्लधंन

उपस्थिति :– 1. श्री जगमोहनलाल जाटव आवेदक
2. स्वयं अभियुक्तगण

निर्णय दिनांक

वाकेयात् इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा एक प्रार्थना इस आशय का पेश कर बताया गया है कि दिनांक 04.05.2015 को प्रातः 10.00 बजे मैसर्स कैलाश जनरल स्टोर बडी धर्मशाला के नीचे कैलादेवी तहसील व जिला करौली पर श्री मानसिंह सहायक कर्मचारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली के साथ दुकान पर पहुँचा तो वहाँ पर अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद कैलादेवी किराने की दुकान करते हुये मिला मैंने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप मे दिया गया तथा दुकान मे रखे गये खाद्य पदार्थ देशी घी (पातीराम ब्राण्ड) की जाँच की तो मुझे मिलावट का शक हुआ। नमूना तौर पर अभियुक्त से सैम्पल लिया गया तथा मौके पर सैम्पल को गवाहान एवं अभियुक्त के समक्ष मौके पर कार्यवाही की गई तथा फर्द मौका तैयार करते हुये मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष कार्यवाही को पढ कर सुनाया गया तथा लिऐ गये नमूने हेतु 500–500 एमएल के 4 सील पैक डिब्बे नगद खरीद कर, नमूना डिब्बों पर अलग–अलग इस कार्य हेतु मुझे स्वीकृत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली के हस्ताक्षर युक्त पैपर स्लिप ए.एल 742 दिनांक 29.3.2015 का नियमानुसार चिपकाया गया। शील बन्द किया गया इस नमूने को जॉच हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर को दिनांक 30.3.2015 को भेजा गया जिसमें खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट एल.एस/287/एक्ट/2015/291 दिनांक 10.4.2015 के अनुसार विक्रय की जाने वाला देशी घी (पातीराम ब्राण्ड) सब स्टैण्र्डस होना पाया गया। जिसकी ताहिद में मौके पर की गई समस्त कार्यवाही एवं कार्यालय से भेजे गये पत्रो की प्रतियॉ शामिल की है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त केस सब स्टैण्डर्स पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) का उल्लधंन किया गया है इनके विरूद्व कार्यवाही की जावे।

आवेदन पत्र दर्ज पंजिका कर अभियुक्तगणों को नोटिस जारी किया गया जिसमें अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित हुए और सभी ने जवाब प्रस्तुत कर बताया गया है कि देशी घी (पातीराम ब्राण्ड) में किसी प्रकार की मिलावट नही की गई है। शुद्व देशी घी है जो उत्तम किस्म का है। यदि किसी प्रकार की गुणवत्ता मे कमी है तो भविष्य मे उसका सुधार कर लिया जायेगा। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

आवेदक एवं अभियुक्तगणों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया है कि मैसर्स कैलाश जनरल स्टोर बडी धर्मशाला के नीचे कैलादेवी तहसील व जिला करौली मे अप्रार्थी नम्बर 1 किराने की दुकान करता है। अप्रार्थी की दुकान से आवेदक द्वारा दिनांक 4.2.2015 को नमूना लेने पर, नमूना जॉच रिपोर्ट में नमूने की जॉच खाद्य विश्लेषक अलवर से कराने पर उक्त देशी घी (पातीराम ब्राण्ड) सब स्टैण्डर्स पाया गया। जिसमे अभियुक्त नम्बर 1 ने उक्त घी अप्रार्थी नम्बर 3 व 3 ने 4 से खरीद किया उसी अनुसार बेचना बताया गया अभियुक्तगणों को खाद्य विश्लेषक अलवर की जॉच रिपोर्ट की चुनौती देने के लिऐ मुख्य चिकित्सा एवं स्वस्थ्य अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 46(4) के तहत सुचना दी गई थी किन्तु अभियुक्तगणों ने समय अवधि मे कोई इस जॉच रिपोर्ट को चुनौती नही दी गई है। स्वयं अभियुक्तगणों ने अपने जबाब में भी भविष्य मे गुणवक्ता को ध्यान रखने का निवेदन किया है। वाद अवधि के यह प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। ऐसी स्थिति में उक्त केश सब स्टैण्डर्स देशी घी (पातीराम ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) में अभियुक्त के द्वारा उल्लधंन किया गया है।

अतः अभियुक्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी नम्बर 4 को 31000/—रूपये इकतीस हजार , अप्रार्थी नम्बर 3 को 21000/— इक्कीस हजार एवं अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 को 11000/— रूपये ग्यारह हजार के दण्ड से दण्डित किया जाता है अभियुक्तगणों को निर्देश दिये जाते हैं कि सात दिवस में उक्त राशि न्यायालय में जमा कराई जावे तथा भविष्य मे खाद्व पदार्थ विक्रय करने से पूर्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार गुणवत्ता को ध्यान मे रख कर ही विक्रय करें। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिह तोमर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2020.05.19 11:33:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: